प्रपत्र– 23.4

परियोजना का नामः–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन के अन्तर्गत पाखरौ रेंज के पाखरौ ब्लॉक क0सं0–8 व 3 में टाइगर सफारी परियोजना निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन के अन्तर्गत पाखरौ रेंज के पाखरौ ब्लॉक क0सं0–8 व 3 में टाइगर सफारी परियोजना निर्माण कार्य हेतु 106.16 हैक्टेयर में से 16.00 हैक्टेयर वन भूमि कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 011–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार(linear) प्रयोजनों तथा–सड़क, नहर, परिपण लाईन, ओ0एफसी0 केबिल एवं पाईप लाईन आदि बिछाने आदि के प्रकरणो का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के **निर्माण** हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
गढ़वाल।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

Annexure-I

FORM-II
(for [redacted] projects)
Goverment of Uttrakhand
Office of the District Collector, Garhwal

No.......[illegible].................
Date....4-6-2020....

TO WHOME SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Goverment of India's letter No-11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Trandtional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Right) Act, 2006 (FRS for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in favour of Uttrakhand Forest, Kalagarh Tiger Reserve Division (Name of User Agency) Contrucation Division Kalagarh Tiger Reserve Division, Lansdwone (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdication Contrucation of Tiger Safari at Pakhro Compt. 8, 3 in Kotdwara tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 16.00 hectares proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee of the forest Rights committee(s) ward(s) Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure....—........................ annexure.......—......................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the ward have given their consent to it,

(c) The each of concerned ward(s) has certified that all formalities/Processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above

Signature

(Dhiraj Garbyal)
District Collector
Garhwal

प्रपत्र— 23.2

परियोजना का नामः—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन के अन्तर्गत पाखरौ रेंज के पाखरौ ब्लॉक क0सं0—8 में पर्यटन हेतु टाइगर सफारी कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत्

प्रमाण—पत्र

उप खण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार

उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन के अन्तर्गत पाखरौ रेंज के पाखरौ ब्लॉक क0सं0—8 में पर्यटन हेतु टाइगर सफारी कार्य हेतु (16.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि,) का कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील—कोटद्वार) की दिनांक 30/5/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री योगेश सिंह मेहरा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री योगेश सिंह उप जिलाधिकारी, कोटद्वार, अध्यक्ष

उपजिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)

2— श्री एस.के.ओ.आर.ओ.… उप प्रभागीय वनाधिकारी, सोनानदी, कोटद्वार— सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सोनानदी कोटद्वार (गढ़वाल)
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग

3— श्री डी०एन०वर्मा…… सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर **रिजर्व** प्रभाग, लैन्सडौन के अन्तर्गत पाखरौ रेंज के पाखरौ ब्लॉक क0सं0—8 में पर्यटन हेतु टाइगर सफारी कार्य परियोजना हेतु 16.00 हैक्टेयर वन भूमि कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर निगम, कोटद्वार के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सोनानदी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन निवासी वन **अधिकारों** की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय **सदस्यों को** अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं **किया गया है।** अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन के अन्तर्गत पाखरौ रेंज के पाखरौ ब्लॉक क0सं0–8 में पर्यटन हेतु टाइगर सफारी कार्य परियोजना के **निर्माण** हेत 16.00 हैक्टयर वन भूमि कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष **प्राधिकारी** से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कोटद्वार
जनपद–पौड़ी गढ़वाल।

उपजिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कोटद्वार
जनपद–पौड़ी गढवाल।

उपजिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)

प्रमाण–पत्र

कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की पाखरौ रेंज के पाखरौ क0सं0–3 व 8 की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश में लगी है तथा पश्चिमी सीमा पर लैन्सडौन वन प्रभाग पड़ता है। इस क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई गांव स्थित नहीं है। अन्य पूर्वी व उत्तरी सीमा पाखरौ रेंज का भाग है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग की कार्ययोजना वर्ष 1991–92 से 2000–01 के अध्याय–1 के पैरा 1.52 में ग्रामीणों के अधिकारों हेतु निश्चित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। उक्त पैरा में अधिकारों के लिये प्रभाग के बिजोरागाढ़, कर्तिया, पूर्वी मंदाल, कालाखाण्ड तथा ईड़ा सम्पूर्ण रूप से तथा हल्दगड़ी, अदनाला, मंदाल, लौहाचौड़, पश्चिमी जमेरिया खण्ड के कुछ भाग निर्धारित किये गये हैं। प्रभाग के अन्य क्षेत्र अधिकारों से मुक्त हैं। वर्तमान टाइगर कन्जरवेशन प्लान में भी इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति/समुदाय/संगठन/ग्राम पंचायत के किसी प्रकार के अधिकार का उल्लेख नहीं है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि पाखरौ ब्लॉक क0सं0–3 व 8 में किसी व्यक्ति/समुदाय/संगठन/ग्राम पंचायत के किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी पाखरौ रेंज, पाखरौ का०टा०रि० प्रभाग	उप प्रभागीय वनाधिकारी सोनानदी, कोटद्वार (गढ़वाल) कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग	उप वन सरक्षक कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैन्सडौन